फा.सं.5/7/2019-आईडीईएएस
भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
31 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऋण खेपों (एलओसी) से संबंधित भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं (आईडीईएएस 2022) के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्तपोषण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस 2022) के संशोधन और जारी रखने के संबंध में मंत्रिमंडल का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है। योजना और दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

2. यह विदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) पर दिनांक 07 दिसंबर, 2015 के इस विभाग के पत्राचार संख्या 21/3/2015-आईडीईएएस और दिनांक 10 अगस्त, 2018 के का.ज्ञा.सं. 5/58/2017-आईडीईएएस के माध्यम से जारी किए गए आईडीईएएस दिशानिर्देशों के अतिक्रमण में है।

3. आईडीईएएस 2022 तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

(पार्वती कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093543
ई-मेल : pk.kataria@gov.in

सेवा में,

1. वित्त सचिव और व्यय सचिव
2. विदेश सचिव
3. सचिव वित्तीय सेवाएँ
4. वाणिज्य सचिव
5. प्रबंध निदेशक, भारतीय एक्जिम बैंक, मुंबई

प्रतिलिपि:

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के पीएसओ
2. सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय के पीपीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी
2. गार्ड फ़ाइल

(पार्वती कटारिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093543

ई-मेल : pk.kataria@gov.in

फा.सं.5/7/2019-आईडीईएएस
भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

विषय: ऋण खेपों (एलओसी) से संबंधित भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं (आईडीईएएस 2022) के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्तपोषण के संबंध में।

1. प्रस्तावना

1.1 भारत सरकार सद्भावना उत्पन्न करने, दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने और सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना आयोजना, डिजाइन और कार्यान्वयन में भारत की विशेषज्ञता को साझा करने के उद्देश्य से विकासशील देशों को रियायती ऋण प्रदान करती है।

1.2 इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा।

भाग क: भारत सरकार द्वारा पेश की जाने वाली ऋण खेपों (एलओसी) के लिए भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना

2. परिचय

भारत सरकार विकासशील देशों के लिए भारत के विकास अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत निम्नलिखित के लिए रियायती ऋण (एलओसी) प्रदान करती है:

i) भागीदार देशों में आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देना;
ii) भागीदार देशों में सामाजिक-आर्थिक लाभ उत्पन्न करना;
iii) वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना; और
iv) समर्थन क्षमता निर्माण और कौशल हस्तांतरण

3. देशों का वर्गीकरण

3.1 देशों को निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. श्रेणी I: निम्न और निम्नतर मध्यम आय (एलएंडएलएमआई) देश जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने एक न्यूनतम बाध्यकारी रियायती आवश्यकता निर्धारित की है।

ख. श्रेणी II: निम्न और निम्नतर मध्यम आय (एलएंडएमएमआई) देश जिनके लिए कोई न्यूनतम बाध्यकारी रियायती आवश्यकता नहीं है।

ग. श्रेणी III: अन्य विकासशील देश।

3.2 प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत देशों की सूची अनुबंध I में दी गई है।

4. ऋण की शर्तें

4.1 ऋण की शर्तें, जैसा कि तालिका 1 में दिया गया है, किसी देश को उसके वर्गीकरण के आधार पर पेश किया जा सकता है। भारत सरकार समय-समय पर इन शर्तों और विशिष्ट देशों के वर्गीकरण को संशोधित कर सकती है।

तालिका 1: देश वर्गीकरण और एलओसी के नियम और शर्तें

नियम और शर्तें*	देश वर्गीकरण		
	श्रेणी I	**श्रेणी II**	**श्रेणी III**
ब्याज की दर	1.5%	1.75%	एलआईबीओआर 1.5%**
परिपक्वता	25 वर्ष	20 वर्ष	15 वर्ष
स्थगन	5 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष

*** टिप्पणी 1:**

i. अनुदान तत्व, जैसा कि प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू होता है, की गणना आईएमएफ के निर्धारित सूत्र के अनुसार की जाएगी।

ii. श्रेणी I के लिए, न्यूनतम 35% अनुदान तत्व निर्धारित किया गया है।

iii. अनुदान तत्व ऋण चुकौती के एनपीवी और ऋण की वास्तविक राशि के बीच का अंतर है।

**** टिप्पणी 2:** श्रेणी III के तहत देशों के लिए ब्याज की दर को वैकल्पिक संदर्भ दर के आधार पर एक समतुल्य दर से जोड़ा जाएगा, जिसे मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, मिलियन अमरीकी डालर एलआईबीओआर से दूर संक्रमण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4.2 यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार न्यूनतम बाध्यकारी रियायती आवश्यकता किसी भी देश को इन दिशानिर्देशों के तहत दी गई दर से अधिक है, तो इसे इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित माना जाएगा।

4.3 एक विशेष व्यवस्था के रूप में, ऊपर उल्लिखित तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के तहत प्रस्तावित शर्तों के अलावा 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि और 2 साल का स्थगन, नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जा सकता है:

i) 200 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।

ii) 100 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक की लागत वाली रणनीतिक महत्व की परियोजनाएं।

4.4 यदि कोई उधार लेने वाली सरकार परियोजना निष्पादन के लिए किसी विशेष प्रयोजन साधन/संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी में उस सरकार की इक्विटी के वित्तपोषण के लिए भारत से कोई ऋण लेना चाहती है, तो उस पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि बोली लगाने वाली किसी भारतीय प्रतिस्पर्धी कंपनी के माध्यम से चयनित ठेकेदार/भागीदार है। उधार लेने वाली सरकार के अनुरोध पर, अन्य बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों के साथ एलओसी परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चयनित ठेकेदार/भागीदार एक भारतीय इकाई हो।

4.5 उधार लेने वाली सरकार ऋण के पुनर्भुगतान और चुकौती के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। उधार लेने वाली सरकार को अपनी एजेंसी द्वारा ऋण लिए जाने की स्थिति में एलओसी ऋण के पुनर्भुगतान और चुकौती के लिए सॉवरेन गारंटी प्रदान करना अनिवार्य है।

4.6 उधारकर्ता ऋणदाता बैंक को देय तारीखों पर ब्याज का भुगतान करेगा और सहमत पुनर्भुगतान समय सूची के अनुसार देय तारीखों पर ऋणदाता बैंक को मूल किस्तों का भुगतान करेगा। ऋणकर्ता बैंक को मूल किस्तों के पुनर्भुगतान और ब्याज और अन्य देयों के भुगतान के लिए एलओसी के उधारकर्ता की देयता निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय है, और यह किसी भी तरह से उप-उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान/भुगतान या एलओसी के तहत कवर की गई परियोजनाओं/ठेकों के पूरा होने या उसके बाद के प्रचालन से जुड़ी नहीं है।

5. उधार देने वाला बैंक

भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत रियायती ऋण उधारकर्ता बैंक, अर्थात् एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया या वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ऋण की रियायती खेपें प्रदान करने में ऋण देने वाले बैंक का समर्थन करेगी।

6. भारत से वस्तुओं और सेवाओं के आयात की आवश्यकता

इन ऋणों के तहत कवर की गई संविदाओं के मूल्य के न्यूनतम 75% हेतु वस्तु और सेवाएं भारत (भारतीय सामग्री) से प्राप्त की जानी अनिवार्य है। एक छूट, जो संविदाओं के मूल्य के 10% से अधिक नहीं है, भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सिविल निर्माण कार्य से जुड़ी परियोजनाओं के लिए मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है। यह छूट परियोजना का ठेका देने से पहले मांगी जानी अनिवार्य है। एलओसीज एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर संविदा के 100% मूल्य तक का वित्तपोषण कर सकती हैं।

7. शुल्क एवं करः

योजना के अंतर्गत उदार शर्तों वाले ऋण उधार लेने वाले देश में परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय निर्यातकों द्वारा प्रतिनियुक्त अस्थायी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान तथा सभी कारपोरेट/वैयक्तिक/मूल्य वर्धित कर, आयात/सीमा शुल्क, विशेष शुल्क सहित ऋण कर्ता देश में सभी प्रकार के करो एवं किसी भी स्वरूप के शुल्कों जो भी लगाए गए हो से मुक्त होगा। तथापि, स्थानीय रूप से जुटाई जाने वाली सेवाओं हेतु कर छूट खरीददार एवं विक्रेता के बीच परस्पर सहमति से होगी तथा अधिकत ऋण सीमा के अंतर्गत किसी उपयोग के पूर्व अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि उधार लेने वाले देश के घरेलू कानून/नियम द्विपक्षीय भागीदार/बहुपक्षीय संस्था को किसी भी कर छूट पर प्रतिबंध लगाता है तो इसे संविदाकार द्वारा इसे स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाना होगा तथा संविदाकार को खरीददार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से प्रतिपूर्ति की जानी होगी। एलओसी से कोई कर देय नहीं है।

8. समयसीमा

(i) गैर-परिचालन एलओसी का स्वत: निलंबन / विलोपन:

एलओसी का स्वत: निलंबन होगा जो भारत सरकार द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर हस्ताक्षरित नहीं होता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से 24 महीने की कुल अवधि के भीतर हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर एलओसी को स्वत: रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) संविदा प्रदान करना:

एलओसी के तहत कम से कम एक संविदा एलओसी पर हस्ताक्षर करने के 18 महीने के भीतर दी जानी चाहिए, ऐसा न करने पर एलओसी को व्यपगत माना जाएगा। इसके अलावा, सभी संविदाओं को एलओसी पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 48 महीनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और 48 महीने की अवधि के अंत में एलओसी की शेष आवंटित राशि समाप्त हो जाएगी।

(iii) टर्मिनल संवितरण तिथि:

अधिकत ऋण सीमा (परियोजना निर्यात और आपूर्ति अनुबंध दोनों) के तहत किसी संविदा के लिए टर्मिनल संवितरण तिथि संविदा की निर्धारित समाप्ति तिथि के 48 महीने बाद होगी। संविदा की अप्रयुक्त राशि 48 महीने के अंत में रद्द मानी जाएगी।

(iv) समयसीमा में विस्तार:

भारत सरकार, उधारी लेने वाली सरकार के अनुरोध पर, और उधारी लेने वाली सरकार द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत औचित्य की जांच के बाद, उपरोक्त खंड 8 (i), (ii) और (iii) में बताई गई समय-सीमा को अधिकतम छह की अवधि तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

9. प्रशासनिक प्रभार

(i) प्रतिबद्धता शुल्क:

ऋण देने वाली एजेंसी को एलओसी के तहत शामिल प्रत्येक संविदा के संबंध में आहरित शेष राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय होगा। इसके अलावा, अनुबंध-I में सूचीबद्ध श्रेणी-I देशों के संबंध में प्रत्येक संविदा की तारीख से 12 महीने की समाप्ति के बाद और अन्य सभी देशों के संबंध में दो महीने की समाप्ति के बाद ही प्रतिबद्धता शुल्क जमा होना शुरू होता है। इसलिए, यदि एलओसी के तहत कवर किए गए प्रत्येक संविदा की निर्दिष्ट अवधि के भीतर निकासी/संवितरण होता है, तो उधारी लेने वाली सरकार को किसी भी प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ii) प्रबंधन शुल्क:

अनुबंध-I में श्रेणी-I के तहत सूचीबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों के लिए प्रबंधन शुल्क @ 0.50 प्रतिशत का भुगतान उधारी लेने वाली सरकार / संस्था द्वारा ऋणदाता बैंक को एलओसी के तहत कवर संविदाओं के अर्हक मूल्य की राशि पर एकमुश्त भुगतान के रूप में किया जाएगा।

10. निगरानी तंत्र

(i) उधारी लेने वाली सरकारों को ऋण लेने वाली सरकार, उधार देने वाले बैंक और संबंधित भारतीय मिशन के प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना पर काम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार समय उपरांत या लागत के अधिक हो।

(ii) भारत सरकार के एलओसी के उपयोग, ऐसे एलओसी के तहत कवर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और एलओसी की सेवाओ पर नियमित प्रगति रिपोर्ट संबंधित भारतीय मिशनों के माध्यम से तिमाही आधार पर भारत सरकार को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iii) उधारी लेने वाली सरकारों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा परियोजना के पूरा होने तक तिमाही आधार पर प्रत्येक परियोजना निष्पादन पर एक स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार और ऋण देने वाले बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

(iv) विदेश मंत्रालय (एमईए), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और ऋण देने वाले बैंक के अधिकारियों की स्थायी समिति द्वारा इस योजना के तहत जारी सभी एलओसी की द्वि-वार्षिक निगरानी की जाएगी।

(v) किसी विशेष परियोजना में देरी के संकेत या विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित भारतीय मिशन उधारी लेने वाली सरकार के साथ परियोजना को सुचारू और समय पर पूरा करने के लिए उधारी लेने वाली सरकार के साथ देरी के कारणों का पता लगाने या शिकायत के मामले में और उचित निवारण करने के लिए संयुक्त साइट दौरा आयोजित करने के लिए समन्वय करेगा।

(vi) ऋण देने वाला बैंक, यदि आवश्यक हो, किसी परियोजना की स्वतंत्र निगरानी के लिए अपनी लागत पर ऋणदाता के इंजीनियर को नियुक्त कर सकता है। उधारी लेने वाली सरकारें और परियोजना से जुड़े सभी संविदाकार और सलाहकार ऋणदाता के इंजीनियर को आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान करेंगे।

11. एलओसी के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन और समीक्षा

(i) परियोजना के पूरा होने पर, भारतीय मिशन को उधारी लेने वाली सरकार/कार्यकारी एजेंसी से व्यापक परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें परियोजना से प्राप्त/प्राप्त होने वाले लाभों, देश/क्षेत्र पर जहां इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को दृश्य प्रलेखन के साथ लागू किया गया हो। यह रिपोर्ट मिशन द्वारा विदेश मंत्रालय और ऋण देने वाले बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट और दस्तावेज की एक प्रति स्थायी समिति को सौंपेगा। परियोजना पूर्णता रिपोर्ट की लागत एलओसी उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) मिशन, ऋण लेने वाली सरकार को प्रदान किए गए एलओसी के दीर्घकालिक आर्थिक लाभों पर भारत सरकार को इनपुट भी प्रदान करेगा (क) एलओसी के तहत परियोजनाओं के पूरा होने पर; और (ख) एलओसी पर हस्ताक्षर करने के 5 साल बाद, दोनों।

(iii) 50 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक की सभी परियोजनाओं के लिए, ऋण देने वाले बैंक या उसके द्वारा नियोजित एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूरा होने पर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन आस्ति की गुणवत्ता और स्थायित्व, भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले निवल निर्यात/लाभ और लक्षित क्षेत्र में परियोजना की प्रभावशीलता पर होना चाहिए। अध्ययन परियोजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, व्यापक विकासात्मक प्रभाव और स्थिरता पर गौर करेगा। यह उस परियोजना के प्रदर्शन का भी आकलन करेगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। उपरोक्त मूल्यांकन की लागत एलओसी के तहत वहन की जाएगी।

12. अतिदेय की वसूली

ऋण देने वाला बैंक ऋण लेने वाली सरकार, भारत सरकार और भारतीय मिशन को एक एलओसी के तहत अतिदेय, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगा। शुल्क, ब्याज या मूलधन, सभी देय राशियों की शीघ्र वसूली के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय मिशन और भारत सरकार वसूली के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, और इस उद्देश्य के लिए उधार लेने वाली सरकार/संस्था के साथ निकट अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

13. अनुदान

भारत सरकार परियोजना की पहचान, तैयारी और मूल्यांकन के साथ-साथ परियोजनाओं के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए अनुदान राशि प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इसमें पेशेवरों/संगठनों को भुगतान किए जाने वाले परामर्श शुल्क शामिल हो सकते हैं।

14. नैतिकता और सत्यनिष्ठा

(i) उधारकर्ताओं, बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, एजेंटों, सलाहकारों, उप-ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं, और किसी भी कर्मियों से भारत सरकार की सभी एलओसी परियोजना की तैयारी, बोली लगाने, खरीद और निष्पादन प्रक्रियाओं के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त सत्यनिष्ठा खंड को एलओसी समझौते में शामिल किया जाएगा, जिस पर उधार लेने वाली सरकारें उधार देने वाले बैंक के साथ हस्ताक्षर करती हैं, और एलओसी के तहत वित्तपोषित होने वाले सभी अनुबंधों में शामिल होने की भी आवश्यकता होगी।

(ii) सभी उधारकर्ता, बोलीकर्ता, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार एजेंटों, परामर्शीयों, उपसंविदाकार, सेवा प्रदाताओं तथा इसके कोई भी कर्मचारी सभी लेखा रिकार्डों एवं बोली की प्रस्तुति से संबंधित अन्य दस्तावेजों और निविदा निष्पादन की जांच करने के लिए भारत सरकार/उधारदाता बैंक को अनुमति देंगे तथा इन्हें भारत सरकार/उधारदाता बैंक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों से लेखा परीक्षण करवाने की अनुमति देंगे।

15. प्रचालन दिशानिर्देश

उधार लेने वाली सरकारों के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों और विदेशों में भारतीय मिशनों की सुविधा के लिए, अनुबंध- II में परिचालन दिशानिर्देशों को आईडियाज 2022 के संयोजन के साथ पढ़ा जाए।

16. ये प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी नए एलओसी पर लागू होंगे। पिछले दिशानिर्देशों के तहत स्वीकृत एलओसी आईडीईएएस 2022 में शामिल किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि, पहले से स्वीकृत एलओसी के तहत परियोजनाएं, जिन्हें अभी तक निविदा नहीं दी गई है, को संशोधित बोली, खरीद और आईडियाज 2022 के अनुबंध-II में परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित निविदा प्रक्रियाओं के तहत निष्पादित किया जाएगा।

भाग ख: रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्तपोषण

17. भाग क के प्रावधानों के बावजूद, भारत सरकार किसी भी उधार लेने वाली सरकार या उधार लेने वाली सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित इकाई को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्तपोषण प्रदान कर सकती है, यदि उक्त भारतीय इकाई ऐसी विदेशी संस्था द्वारा दी गई परियोजना के निष्पादन हेतु निविदा प्राप्त करने में सफल होती है। इस वित्तपोषण के लिए पात्र होने के लिए एक परियोजना का रणनीतिक महत्व भारत सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाएगा। रियायती वित्तपोषण का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

18. परिभाषाएं

आईडियाज 2022 के प्रयोजनों के लिए, परिभाषाएँ अनुबंध-III में दी गई हैं।

19. परिणाम, मूल्यांकन और विचारों की समीक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईडियाज 2022 के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं, योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। योजना की निरंतरता इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव पर निर्भर करेगी।

*****

अनुबंध- I

<u>देशों का वर्गीकरण</u>

श्रेणी-I	**श्रेणी-II**		**श्रेणी -III**
1.अफगानिस्तान	1. अंगोला	30. मोरक्को	अन्य विकासशील देश
2.बांग्लादेश	2. बेनिन	31. म्यांमार	
3.बुर्किना फासो	3.भूटान	32. नेपाल	
4.बुरुंडी	4.बोलीविया	33. निकारागुआ	
5.मध्य अफ्रीकी गणराज्य	5.कंबोडिया	34. नाइजीरिया	
6. चाड	6. कैमरून	35. पाकिस्तान	
7.कोटे डी'लवॉयर	7. कोमोरोस	36. पापुआ न्यू गिनी	
8.गाम्बिया, दी	8. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	37. पराग्वे	
9.घाना	9.जिबूती	38. फिलीपींस	
10.गिनी	10.मिस्र	39. काबो वर्दे गणराज्य	
11.होंडुरास	11.अल सल्वाडोर	40. कांगो गणराज्य	
12.केन्या	12.इरीट्रिया	41. सेशेल्स	
13.किर्गिज़ गणराज्य	13. इस्वातिनि	42. सोमालिया	
14.लाइबेरिया	14. इथियोपिया	43. दक्षिण सूडान	
15.मलावी	15. गिनी बिसाऊ	44. श्रीलंका	
16.माली	16. ग्वाटेमाला	45. सूडान	
17.मोज़ाम्बिक	17. गुयाना	46.सीरियाई अरब गणराज्य	
18.नाइजर	18. हैती	47. ताजिकिस्तान	
19.रवांडा	19. इंडोनेशिया	48.तिमोर लेस्ते	
20.सिएरा लियोन	20.किरिबाती	49.टोगो	
21.साओ टोम और प्रिंसिपे	21.कोरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य	50.ट्यूनीशिया	
22.सेनेगल	22. लाओ पीडीआर	51.यूक्रेन	
23.सोलोमन द्वीप समूह	23. लेसोथो	52.उज़्बेकिस्तान	
24.तंजानिया	24. मेडागास्कर	53. वानुअतु	
25.युगांडा	25. मालदीव	54.वियतनाम	
26.यमन, गणराज्य	26. मॉरिटानिया	55.वेस्ट बैंक और गाजा	
	27. माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य	56.जाम्बिया	
	28.मोल्दोवा	57.जिम्बाब्वे	
	29. मंगोलिया		

अनुबंध- II

<u>**उधार देने वाले देशों को उधार देने वाले बैंक के माध्यम से दी गई रियायती ऋण व्यवस्था के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश**</u>

परियोजनाओं का चयन, बोली और खरीद प्रक्रिया:

क. परियोजनाओं का चयन

(i) प्रत्येक देश परियोजनाओं/वस्तुओं और सेवाओं को इंगित करते हुए एक प्रस्ताव प्रदान कर सकता है कि वह संबंधित मिशन के लिए अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत से आयात करने में रुचि रखेगा।

क. परियोजनाओं के मामले में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एलओसी के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ख. यदि देश स्वयं डीपीआर तैयार करने में असमर्थ है, तो उसे एलओसी अनुमोदन पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए परियोजना की रूपरेखा, व्यवहार्यता अध्ययन आदि के माध्यम से अधिक से अधिक विवरण प्रदान करना चाहिए। ऐसे मामलों में, एलओसी को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जा सकता है कि एलओसी के 1% से अधिक राशि का उपयोग पहले डीपीआर तैयार करने और उसके अद्यतन/मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। एलओसी का आगे उपयोग डीपीआर मूल्यांकन, निष्कर्षों और उसके अनुमोदन के अधीन होगा।

ग. ऋणदाता बैंक या उसके द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा, जैसा कि योजना के खंड 11(iii) के तहत उल्लेख किया गया है, एलओसी के 0.50% तक की राशि का उपयोग पूरा होने पर परियोजना के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

घ. माल और सेवाओं के निर्यात के मामले में, उत्पादों/सेवा की प्रकृति, आवश्यक मात्रा और लागत के बारे में विवरण इंगित किया जाना है।

(ii) भारत सरकार की प्राथमिकताएं मोटे तौर पर इस प्रकार होंगी:

क. पहली प्राथमिकता उधार लेने वाले देशों में आर्थिक और ढांचागत परियोजनाओं को वित्तपोषित करना होगा।

ख. दूसरी प्राथमिकता द्विपक्षीय व्यापार के लिए सेतु का निर्माण करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की होगी।

ग. निर्यातकों द्वारा सेवा सुविधाओं का पर्याप्त नेटवर्क स्थापित करने के लिए क्रेडिट लाइन के माध्यम से सहायता।

(iii) दो या दो से अधिक देशों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत क्षेत्रीय प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। इस मामले में, कार्यान्वयन एजेंसी और परिकल्पित कुल ऋण में प्रत्येक देश के हिस्से के बारे में ब्योरा दर्शाना होगा। संबंधित मिशनों को प्रस्ताव से पूरी तरह अवगत कराया जाना चाहिए और परियोजना का समर्थन करने की आवश्यकता है।

(iv) ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान को कवर करने के लिए उधार लेने वाली सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सॉवरेन गारंटी के अलावा, पुनर्बीमा के माध्यम से अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना, ऋणों को सुरक्षित करना, तीसरे पक्ष की गारंटी/एस्क्रो खाते ढूंढना, वस्तुओं के निर्यात के साथ जुड़ाव आदि का भी पता लगाया जा सकता है और प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है।

(v) विदेश मंत्रालय, ऋण देने वाले बैंकों अथवा इसके द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी द्वारा परियोजना/डीपीआर के उचित मूल्यांकन और आंकलन प्राप्त होने पर, या विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों या उसकी एजेंसियों को स्थायी समिति की बैठक में विदेश मंत्रालय, डीईए, ऋण देने वाले बैंक (बैंकों) और हितधारकों जैसे विशेष आमंत्रित (समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर) के रूप में शामिल करेगा, जो एलओसी

प्रदान करने के प्रस्ताव की विस्तार से जांच करेंगे और इसकी सिफारिशें करेंगे। परियोजना/डीपीआर के मूल्यांकन और आंकलन के लिए लागत, यदि कोई हो, परिचालन दिशानिर्देशों के खंड क (i) (ख) के तहत उद्देश्यों के लिए निर्धारित एलओसी के तहत कवर किया जाएगा।

(vi) किसी भी देश को एलओसी के माध्यम से समर्थन देने के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं या शिखर सम्मेलनों/मंत्रिस्तरीय बैठकों के अवसर पर की गई प्रतिबद्धताओं को "सैद्धांतिक" अनुमोदन के रूप में माना जा सकता है। ऐसे मामलों में और राजनीतिक स्तर पर की गई प्रतिबद्धताओं को जल्द से जल्द पूरा करने की दृष्टि से, संबंधित भारतीय मिशन और उधार लेने वाली सरकार से मामले की आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तावों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद की जाएगी।

(vii) एलओसी की मात्रा और नियम और शर्तों के संबंध में अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास होगा। स्थायी समिति व्यक्तिगत परिस्थितियों और एलओसी आदि से संबंधित अन्य सभी मामलों के आधार पर उधार लेने वाली सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर दिए गए एलओसी के नियमों और शर्तों के संशोधन पर भी बैठक करेगी और विचार-विमर्श करेगी।

ख. डीपीआर की तैयारी

डीपीआर तैयार करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा:

(i) प्रत्येक शीर्ष के तहत विस्तृत औचित्य के साथ एक विस्तृत लागत ब्रेक-अप।

(ii) प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि की पहचान, साथ ही साइट तक पहुंच/रास्ते के अधिकार का विवरण।

(iii) बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता जैसे। पानी और बिजली आदि

(iv) साइट के नजदीक में चालू होने के बाद कच्चे माल की उपलब्धता और निरंतर आपूर्ति।

(v) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेजबान देश के विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिबद्धता, जैसे कर छूट, भूमि आवंटन, पर्यावरण मंजूरी, भारतीय कर्मियों को सुरक्षा, बंदरगाह अधिकारियों से माल की निकासी और साइट पर इसका परिवहन।

(vi) डीपीआर को प्रस्तावित परियोजना की तकनीकी और वित्तीय स्थिरता योजना, परियोजना से उत्पन्न होने वाले विकासात्मक लाभों और परियोजना के कार्यान्वयन के बाद परियोजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान सरकार की क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी।

(vii) डीपीआर उधारकर्ता सरकार के वित्तीय योगदान (यदि कोई हो) और इसे कैसे पूरा करने का प्रस्ताव है, यह भी निर्दिष्ट कर सकता है।

(viii) डीपीआर एलओसी के अनुमोदन से पहले बारह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डीपीआर की मान्यताओं से कोई बड़ा विचलन नहीं है।

(ix) डीपीआर में प्रमुख विचलन, यदि कोई हो, अर्थात। भारत सरकार के अनुमोदन से पहले साइट/स्थान, परियोजना के दायरे और अन्य वाणिज्यिक शर्तों में परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।

डीपीआर की मुद्रा अनुबंध के साथ एक समान होनी चाहिए (अधिमानतः यूएसडी में)।

ग. बोली और खरीद प्रक्रिया

(i) एलओसी वित्तपोषण के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की जानकारी ऋणदाता बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उद्योग संघों को भी प्रसारित की जाएगी। उधार लेने वाली सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ii) उधार लेने वाली सरकार को परियोजना के दायरे और पूर्व-अर्हक मानदंड को उधार देने वाले बैंक को अग्रेषित करेगी जो भारतीय कंपनियों / संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा और प्रत्येक परियोजना के लिए इसकी लागत पर पूर्व-अर्हक प्रयास करेगा। पूर्व-अर्हक कंपनियों/संस्थाओं की सूची उधार लेने वाली सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद, परियोजना को उधार लेने वाली सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अंतर्गत बोली लगाने के लिए रखा जाएगा। एलओसी के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के लिए, भागीदारी की अर्हता मौजूदा भारत सरकार के नियमों का अनुपालन के तहत होगी और भारत में पंजीकृत और/या भारत में लागू किसी भी विधि के अंतर्गत निगमित/स्थापित भारतीय संस्थाओं तक सीमित होगी। तथापि ऐसी संस्था को यदि किसी बहुपक्षीय विकास बैंक, जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, या भारत सरकार या उधार लेने वाली सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा काली सूची में डाल दी जाती है, तो वह उस काली सूची में डाली गई अवधि के लिए बोली प्रक्रिया में लेने के लिए पात्र नहीं होगी।

(iii) ऋण लेने वाली सरकारों द्वारा भारतीय कंपनियों को एलओसी वित्तपोषण के अंतर्गत संविदा प्रदान करने में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उधार लेने वाली सरकारों और उनकी नामित एजेंसियों से पारदर्शी और निष्पक्ष बोली प्रक्रिया का संचालन करने की अपेक्षा की जाती है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और जिसका विवरण अग्रिम रूप से उधार देने वाले बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें उधार देने वाले बैंक को भारतीय संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं के मूल्यांकन और चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्राप्त सभी बोलियों के विवरण आदि के बारे में भी सूचित करना अपेक्षित होगा।

(iv) यदि इस प्रक्रिया किसी प्रकार का विचलन होता है, तो उधार लेने वाली सरकार/एजेंसी को इसके लिए उधार देने वाले बैंक को विस्तृत औचित्य प्रदान करना होगा, जो इसके बदले में ऐसी संविदा की स्वीकृति के संबंध में विदेश मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार से निर्णय की मांग करेगा।

(v) उधार लेने वाली सरकार को संविदा प्रदान करने में पारदर्शिता और उचित जांच सुनिश्चित करने हेतु भारतीय मिशनों को सतर्क रहना चाहिए।

(vi) बोली मूल्य केवल अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाना चाहिए।

घ. निविदा प्रक्रिया

(i) निविदा दस्तावेजों को सभी पहलुओं से पूरा करने की आवश्यकता होगी। भुगतान शर्तों को परियोजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियों से जोड़ा जाना आवश्यक है। उधार देने वाले बैंक द्वारा अग्रिम भुगतान को संविदा मूल्य के 20% तक सीमित कर सकता है। संविदा मूल्य का 10% रोककर रखा जाना चाहिए और परियोजना के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उपकरणों की स्थापना और प्रवर्तन में लाने के बाद ही उसे वितरित किया जाना चाहिए। भुगतान की शर्तों में विलंब होने के लिए परिसमाप्त क्षति शामिल होगी जो संविदा मूल्य के 1-5% की सीमा तक हो सकती है।

(ii) निविदा प्रक्रिया शुरू होने से पहले एलओसी उधार लेने वाली सरकार द्वारा निविदा दस्तावेजों का संपूर्ण सेट भारत सरकार और ऋण बैंक को भेजा जाएगा। उधार देने वाले बैंक की स्वतंत्र सलाहकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए यह जांच की जाएगी कि सभी निविदा शर्तें प्रासंगिक हैं और प्रकृति में प्रतिबंधात्मक नहीं हैं, ताकि भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यदि आवश्यक हो तो ऋणदाता बैंक निविदा दस्तावेजों में परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकेगा। निविदा दस्तावेजों का अंतिम अनुमोदन ऋणदाता बैंक द्वारा किया जाएगा।

(iii) उधार लेने वाली सरकार पूर्व-अरर्हक संविदाकारों/सलाहकारों के साथ निविदा प्रक्रिया शुरू करेगी।

(iv) उधार लेने वाली सरकार संभावित भारतीय बोलीदाताओं द्वारा खरीद के लिए निविदा दस्तावेज ऑनलाइन और/या भारत में अपने मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कर सकती है।

ङ. संविदा प्रदान/अनुमोदित करना

(i) भारतीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बोलियों के आधार पर, उधार लेने वाली सरकार/एजेंसी निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन मानदंड और प्रक्रियाओं के अनुसार संविदा प्रदान करेगी। उधार देने वाला बैंक उन सभी संविदाओं को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जो पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।

(ii) बोली लगने की प्रक्रिया के बाद, उधार लेने वाला ऋणदाता बैंक की सहमति हेतु संविदा मसौदे की प्रति तथा बोली मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविदा एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से दी गई है, ऋणदाता बैंक बोली मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा।

(iii) उधार लेने वाली सरकार डीपीआर और निविदा दस्तावेजों के समान कार्यों और मूल्य और भुगतान अनुसूची के साथ संविदा का मसौदा तैयार करेगी। सामान्य तौर पर डीपीआर में बताए गए व्यापक व्यय शीर्षों के तहत, लागतों को अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए संविदा में व्यय के उपयुक्त उप-शीर्षक शामिल होने चाहिए। भुगतान उधार लेने वाली सरकार द्वारा जारी भुगतान प्राधिकरण के आधार पर किया जाएगा। संविदा-वार साख-पत्र खोले जा सकते हैं। संविदाओं में उपयुक्त बैंक गारंटी के प्रावधान शामिल होने चाहिए। संविदा में कोई विचलन ऐसे विचलनों के लिए डीपीआर और निविदा दस्तावेजों की तुलना में विस्तृत औचित्य के साथ समर्थित होना चाहिए।

(iv) ऋणदाता बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए संविदा मसौदे का विश्लेषण करेगी कि डीपीआर तथा निविदा दस्तावेजों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। किसी भी प्रकार की असहमति के विषय में, उधार लेने वाली सरकार से इस पर स्पष्टीकरण लेने के पश्चात् इसे भारत सरकार को संदर्भित किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर, यदि कोई हो, ऋणदाता बैंक उधार लेने वाली सरकार को अपना निर्णय भेजेगा।

(v) उधार लेने वाली सरकार से भूमि की उपलब्धता, रास्ता देने का अधिकार, आधारभूत संसाधनों, निकासियों कर तथा शुल्क छूटों, वित्तीय पूर्तियों तथा अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में सारी सुनिश्चितताएं संविदा के साथ-साथ अथवा अग्रिम भुगतान से पहले अग्रेषित की जानी चाहिए।

(vi) संकुल परियोजनाओं को पूरा करने के अनुभव पर आधारित, जो विभिन्न परियोजनाओं पर प्रक्षेत्र विशेषज्ञों की सलाह पर भी आधारित है, ऋणदाता बैंक यदि आवश्यक हो, उधार लेने वाली सरकार को अपने इनपुट प्रस्तुत करेगी कि संविदा मसौदा कैसे तैयार किया जाए। ऐसी संविदाओं के समौदा तैयार करते समय इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स (एफआईडीआईसी) दिशा-निर्देशों के नियम व शर्तों पर विचार किया जा सकता है। ऋणदाता बैंक द्वारा संविदा के अन्तर्गत तकनीकी मापदण्ड के प्रारूपण के लिए प्रक्षेत्र विशेषज्ञों की सहायता भी मांगी जा सकती है। प्रक्षेत्र विशेषज्ञों की ऐसी सेवाओं का शुल्क प्रति एलओसी का एक भाग बन सकती है।

च. निष्पक्ष बोली प्रक्रिया के माध्यम से पीएमसी की नियुक्ति:

(i) एक स्वतंत्र भारतीय परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) को निष्पक्ष और पारदर्शी बोली के माध्यम से 10 मिलियन अमरीकी डालर और उससे अधिक की सभी परियोजनाओं के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

10 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम की परियोजनाओं के लिए या आपूर्ति परियोजनाओं के लिए, यदि आवश्यक हो, तो डीपीआर तैयार करने सहित, मामले-दर-मामले के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो पीएमसी की नियुक्ति की जा सकती है। अगर पीएमसी की नियुक्ति उधार लेने वाली सरकार द्वारा खुद की जाती है, तो पीएमसी शुल्क एलओसी उधार लेने वाले को वहन करना होगा। हालांकि, इन शर्तों को विस्तृत औचित्य द्वारा समर्थित उधार लेने वाली सरकार के अनुरोध पर छूट के लिए विचार किया जा सकता है।

(ii) यदि उधार लेने वाली सरकार विदेश मंत्रालय अथवा ऋणदाता बैंक अपनी ओर से पीएमसी नामांकित/नियुक्त करने का अनुरोध करती है, तो विदेश मंत्रालय मौजूदा भारत सरकार के नियमों तथा प्रक्रियाओं के आधार पर ऐसा कर सकता है।

(iii) पीएमसी के कार्य क्षेत्र में परियोजना की डिजाइन, बोली लगाना (निविदा दस्तावेजों की तैयारी तथा बोलियों के मूल्यांकन सहित), कार्यान्वयन की देख-रेख (बीजकों और भारतीय अंतर्वस्तु के प्रमाणन सहित), प्रचालनों का मूल्यांकन तथा रख-रखाव तथा साथ में आस्ति की गुणवत्ता की पुष्टि सहित परियोजना के बाद में शुरू किए गए चरणों को शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) उधार लेने वाली सरकार भी अपनी आवश्यकता/नीति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है। तथापि, इस मामले में परामर्शदाता का शुल्क उधार लेने वाली सरकार द्वारा दिया जाएगा।

छ. व्यापक रखरखाव:

उधार लेने वाली सरकार परियोजना के चालू होने और वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद 3-5 वर्षों के लिए एक व्यापक रखरखाव संविदा (सीएमसी) संपन्न करेगी। सीएमसी की लागत अतिरिक्त पुर्जों के साथ, जहां आवश्यक हो, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों में उनकी कुल लागत के हिस्से के रूप में निष्पादन संविदाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। उधार लेने वाली सरकार स्थानीय ठेकेदारों को उनकी आवश्यकता/नीति के अनुसार सीएमसी भी प्रदान कर सकती है। हालांकि, ऐसे मामलों में, सीएमसी लागत उधार लेने वाली सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

*****

अनुबंध -III

परिभाषाएं

बोली मूल्यांकन रिपोर्ट	**"बोली मूल्यांकन रिपोर्ट"** एक निविदा प्रक्रिया के समापन के बाद उधार लेने वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है, जो अपनाई गई मूल्यांकन की प्रक्रिया को सारांशित करती है।
उधार लेने वाला देश	**"उधारकर्ता देश"** वह देश है जो लाभ उठाने का इरादा रखता है, या जिसके लिए रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है।
उधार लेने वाली सरकार	**"उधार लेने वाली सरकार"** या **"उधारकर्ता"** उस देश की सरकार है जिसे रियायती ऋण प्रदान किया गया है और इसमें इसकी एजेंसी भी शामिल है।
क्रेता	**"क्रेता"** का अर्थ है एक पात्र संविदा के संबंध में उधारकर्ता के देश में एक खरीदार ।
सीएफआर	**"सीएफआर"** का अर्थ है लागत और माल ढुलाई - इनकोटर्म्स 2010/इनकोटर्म्स 2020 में परिभाषित सीवे शिपमेंट शर्तें।
सीआईएफ	**"सीआईएफ"** का अर्थ है लागत, बीमा और माल ढुलाई- इनकोटर्म्स 2010/इनकोटर्म्स 2020 में परिभाषित सीवे शिपमेंट शर्तें।
सीआईपी	**"सीआईपी"** का अर्थ है कैरिज और बीमा का भुगतान - इनकोटर्म्स 2010/इनकोटर्म्स 2020 में परिभाषित सीवे शिपमेंट शर्तें।
डीईए	**"डीईए"** आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित करता है।
डीपीआर	**"विस्तृत परियोजना रिपोर्ट"** या **"डीपीआर"** का अर्थ है परियोजना की विस्तृत तकनीकी और वित्तीय आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली रिपोर्ट।
योग्य संविदा	**"योग्य संविदा"** का अर्थ भारत से उधारकर्ता के देश में माल और सेवाओं के आयात के लिए एक संविदा है जिसके लिए उधारकर्ता ने विक्रेता के चयन के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष बोली प्रक्रिया का संचालन किया है।
फिडिक	**"फिडिक"** इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स को संदर्भित करता है।
एफओबी	**"एफओबी"** का अर्थ है फ्री ऑन बोर्ड - इनकोटर्म्स 2010/इनकोटर्म्स 2020 में परिभाषित सीवे शिपमेंट शर्तें।
जीओआई	**" जीओआई "** भारत सरकार को संदर्भित करता है।

आईडीईएएस	**" आईडीईएएस "** भारत सरकार की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना को संदर्भित करता है।
भारतीय विषयवस्तु	**"भारतीय विषयवस्तु"** अनुबंधों के मूल्य में वस्तुओं और सेवाओं के घटक को संदर्भित करता है, जिसे भारत से प्राप्त किया जाता है। एलओसी के तहत कवर किए गए अनुबंधों के मूल्य के न्यूनतम 75% के लिए सामान और सेवाएं भारत से प्राप्त की जानी चाहिए। यह समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अनुदेशों द्वारा शासित होगा ।
ऋणदाता का अभियंता	**"ऋणदाता का अभियंता"** परियोजना के कार्यान्वयन के किसी भी चरण/चरण में स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए ऋणदाता बैंक/उधार एजेंसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता है।
ऋण दाता बैंक/ ऋण दाता संस्था	**"ऋण दाता बैंक/ ऋण दाता संस्था"** से तात्पर्य एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ऋण दाता संस्था से है जिसे आईडीईएएस के तहत रियायती ऋण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
एलओसी	**"एलओसी"** या **"लाइन ऑफ क्रेडिट"** भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत, भारत सरकार की ओर से ऋण दाता बैंक / ऋण दाता संस्था द्वारा दी गई रियायती क्रेडिट लाइन है।
विदेश मंत्रालय	**"एमईए"** विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित करता है।
भुगतान प्राधिकरण	**"भुगतान प्राधिकरण"** का अर्थ है उधारकर्ता सरकार द्वारा ऋण दाता बैंक / ऋण दाता संस्था को जारी किया जाने वाला प्राधिकरण, विक्रेता के खाते में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए ऋण दाता बैंक / ऋण दाता संस्था को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करना, जब भी एक योग्य संविदा के तहत विक्रेता को भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
पीएमसी	**"परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) / परामर्शदाता"** का अर्थ है, डीपीआर और निविदा दस्तावेज तैयार करने, उधारकर्ता देश की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परियोजना के लिए किसी भी अन्य परामर्शदात्री सेवाओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाने वाला भारतीय परामर्शदाता।
परियोजना	**"परियोजना"** का अर्थ परामर्श सेवाओं सहित वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की आपूर्ति सहित परियोजना है, जिसके लिए ऋणदाता बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है, और उसके विवरण को समय-समय पर उधारकर्ता और ऋण दाता बैंक के बीच समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

परियोजना पूर्णता रिपोर्ट	**"परियोजना पूर्णता रिपोर्ट"** एक परियोजना के पूरा होने पर उधारकर्ता सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट है, अन्य बातों के साथ-साथ देश/क्षेत्र पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को सूचीबद्ध करती है।
विक्रेता	**"विक्रेता"** का अर्थ एक योग्य संविदा के संबंध में भारत में एक विक्रेता है और इसमें पीएमसी/सलाहकार शामिल होंगे।
स्थायी समिति	**"स्थायी समिति"** अंतर-मंत्रालयी समिति है जिसमें एमईए, डीईए और ऋणदाता बैंक / ऋणदाता संस्था के प्रतिनिधि शामिल हैं।
टर्मिनल संवितरण तिथि या टीडीडी	**"टर्मिनल संवितरण तिथि" या "टीडीडी"** का अर्थ संविदा की निर्धारित समाप्ति तिथि के बाद 48 (अड़तालीस) महीने की अवधि की समाप्ति तारीख है।